

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को करने से हो फिज करने से हो फिजी अन्य एकदिवसीय के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि एवं में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमिक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाने विद्यत ताकिना हो।



कक्ष : सुनैरिडि
दूरभाष : (0751) 2441696
(0751) 2442629
फैक्स : (0751) 2441748

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एच/सम्बद्धता/2012/ 5922

दिनांक: 05/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के.एस. नरिसि महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2401011) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/तथापरी गरिणि, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विज्ञानज्ञान विरीक्षण समिति का गठन किया है -


- (1) प्रो. ए.के. टट्टे, आचार्य, ए.एच.एन. अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442769)
- (2) डॉ. डी.एन. गोरगामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परियोजना, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. ज्योति सोहिते, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, प्रोटोकॉल, वार्षिक वित्तीय/अर्थव्यवस्था स्टॉक, प्राविष्टिगत सत्या से प्राप्त अनुसंधान/अनुसंधान प्रमाण पत्र, भवन, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अडमिनिस्ट्रेशन तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/वैशेषिक एवं अर्थव्यवस्था स्टॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान प्रमाण पत्र प्रेषित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पत्र क्रमांक 60 (न-न-2) पर लिये जाने निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। विज्ञानज्ञान सर्वदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिले 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना प्रश्नों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कक्षालय सहायक पदावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देव होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आग्रहक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरापुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव : कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एवं अग्रगण्य कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर वॉरि एक्ट में पर लागू न हुआ हो तो पर क्रमांक एवं दिनांक प्रकाश विवरण वार्ड मिलाने उपरिक्त हो।



जान : मुंबई/बी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2341764

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
कार्यालय, सम्बद्धता: 2012/5926

दिनांक: 05/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के.एस. नर्सिंग कॉलेज, मुन्नीमुखा का नामा, ग्वालियर (0751-2401011) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये गजनीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयक 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. डी.एन. जोरवार, अधिष्ठाता महाविद्यालयीय विज्ञान परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आर्.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) डॉ. गणेश दुबे, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुबंध है कि वे परिचयक 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घंटेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुसंधान/अनारपित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 को पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं उच्च सहाय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निगमानुसार अर्द्धवर्ष जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचयक 27(11)(f) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैध/अवैधिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूतनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के अचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)